सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

प्रकरण संख्याः– 158/प्रा0पत्र/2024 दायरा दिनांक :–02.08.2024

GCMS ID–2024/261

बउनवान

1. गीता बाई आयु 40 वर्ष पुत्री सत्यनारायण पत्नि प्रमोद जाति तेली निवासी माटून्दा रोड बून्दी तहसील व जिला बून्दी

प्रार्थी

बनाम

1. पप्पू आत्मज चतुर्भुज जाति तेली तेलीपाडा खीण्या तह हिण्डोली।
2. महेन्द्र आत्मज चतुर्भुज जाति तेली तेलीपाडा खीण्या तह हिण्डोली।
3. शिवराज आत्मज पप्पू जाति तेली तेलीपाडा खीण्या तह हिण्डोली।
4. कालू आत्मज महेन्द्र जाति तेली तेलीपाडा खीण्या तह हिण्डोली।
5. राजू आत्मज महेन्द्र जाति तेली तेलीपाडा खीण्या तह हिण्डोली।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :– अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

वकील प्रार्थी :– श्री प्रेमशंकर गुर्जर।

वकील अप्रार्थी :– श्री भंवरलाल गुर्जर।

आदेश

दिनांक :–27.02.2026

प्रार्थना पत्र में तथ्य इस प्रकार है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 3311/930 रकबा 0.0566 हैक्टेयर एवं ख०सं० 3313/2960 रकबा 0.4346 है। भूमि वाके ग्राम खीण्या पटवार हल्का खीण्या तहसील हिण्डोली जिला बून्दी मे स्थित है। प्रार्थना पत्र की चरण कम 1 में वर्णित भूमि प्रार्थीया के स्वामित्व, खातेदारी एवं आधिपत्य की भूमि है जिस पर प्रार्थीया काबिज चली आ रही है और भूमि प्रार्थीया के खातेदारी मे दर्ज है और प्रार्थीया खातेदार काश्तकार है। परिणामस्वरूप जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 संलग्न प्रार्थना पत्र है। अप्रार्थीगण 1 व 2 आपस मे भाई हैं तथा अप्रार्थी कम 3 लगायत 5 इनके पुत्रगण हैं और अप्रार्थीगण आपराधिक किस्म के व्यक्ति है और आये दिन लडाई झगडा करते रहते है तथा दूसरो की भूमियां हथियाने की कोशिश मे रहते है। प्रार्थीया गरीब महिला है। प्रार्थना पत्र की चरण कम 1 में वर्णित भूमि से अप्रार्थीगण का कोई संबंध नही है और न ही भूमि उनके हक व अधिकार मे है लेकिन फिर भी अप्रार्थीगण प्रार्थीया के कब्जे काश्त मे दखलअंदाजी करते है और प्रार्थीया अपनी उक्त वर्णित खातेदारी मे स्थित भूमियो का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवाना चाहती है। प्रार्थीया को अधिकार प्राप्त है कि वह न्यायालय मे अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र पेश करे अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की प्रार्थना पत्र की चरण कम 1 में वर्णित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवावे। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया की भूमि बाबत दखलअंदाजी पैदा करने से उन्हे पक्षकार बनाया गया है। इस प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि ग्राम खीण्या तहसील हिण्डोली जिला बून्दी मे स्थित होने से प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार न्यायालय को प्राप्त है व क्षेत्राधिकार है। प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस पर अवधि मध्य

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय हाजा में प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की चरण कम 1 मे वर्णित प्रार्थीया की स्वामित्व, आधिपत्य एवं खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान करवाया जाकर पत्थरगढी करवाने की कृपा करे।

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया प्रस्तुत होने पर प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थीगण की ओर से जबाव पेश कर कथन किया कि भूमि ख.सं. 284/2818, 2960/284, 2964/285, 2965/286 कुल किता 4 कुल रकबा 13 बीघा 16 बिस्वा स्वर्गीय चतुर्भूज जी व स्वर्गीय सत्यनारायण जी के नाम सयुक्त रूप से हिस्सा बराबर आवंटित हुई थी। स्वर्गीय श्री चतुर्भूज जी अप्रार्थी पप्पू, महेन्द्र व स्वर्गीय सत्यनारायण के पिता थे। इस प्रकार आवंटी स्वर्गीय सत्यनारायण अप्रार्थी महेन्द्र व पप्पू के सगे भाई थे। आवंटन के समय स्वर्गीय चतुर्भुज व सत्यनारायण सयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य व कर्ता थे, जबकि तत्समय अप्रार्थी महेन्द्र व पप्पू नाबालिग थे, इस प्रकार उक्त भूमि मे अप्रार्थी संख्यया 1 व 2 का भी बराबर हिस्सा था। स्वर्गीय श्री सत्यनारायण जी के कोई पुत्र सन्तान नहीं होकर प्रार्थीया गीता बाई एवं निरमा बाई व भूरी बाई तीन पुत्रिया है, स्वर्गीय श्री चतुर्भूज जी एवं सत्यनारायण जी ने सम्पति के स्वामित्व सम्बन्धी विवादो की आशंका की सम्भावना को देखते हुये चतुर्भुज जी के हिस्से की भूमि पप्पू के नाम बक्षीस कर दी, जबकि स्वर्गीय श्री सत्यनारायण ने प्रार्थीया गीता बाई एवं निरमा बाई तथा भूरी बाई की सहमति से उसके हिस्से की भूमि दिनांक 24.12.2010 को अप्रार्थी महेन्द्र के नाम बक्षीस कर दी परन्तु बक्षीस नामा के आधार पर नामान्तरण दर्ज होने के फायदा उठाकर प्रार्थीया गीता बाई ने छिपते हुये नामान्तकरण खुलवा लिया तथा छिपकर बटवारे का वाद पेश कर बटवारा कर लिया, परन्तु उक्त भूमि में स्वामित्व आधिपत्य अप्रार्थी महेन्द्र का बना हुआ है, तथा वर्तमान मे भी काबिज काश्त है। बक्षीसनामा की प्रति सलंग्न है। अप्रार्थी महेन्द्र को उक्त तथ्य की जानकारी होने पर माननीय न्यायालय मे एक वाद बउनवान महेन्द्र बनाम गीता बाई पेश कर रखा है, जिसमें प्रार्थीया की तामिल हो चुकी है, तथा उक्त वाद मे अधिकारो का निर्धारण होना है, इस प्रकार उक्त भूमि विवादित है एवं प्रार्थीया का कब्जा व स्वामित्व नही होने से प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 में प्रावधान निहित है कि किन्ही सीमाओं से सम्बन्धित किसी विवाद के मामले में लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर, जहॉ तक संभव हो वर्तमान सर्वेक्षण नक्शे के आधार पर ऐसे विवाद निपटायेगा और यह संभव न हो अथना ऐसे नक्शे उपलब्ध न हो तो वास्तविक कब्जे के आधार पर निपटायेगा। भू–प्रबन्धन कार्य समाप्त होने पर ऐसे विवाद कलक्टर द्वारा निपटाये जाऐंगे। राज्य सरकार ने अधि.सं. एफ. 4 (64) रे. बी. ग्रुप/62 दिनांक 12.06.1963 के द्वारा ये शक्तियॉ एस0डी0ओ0 को प्रत्यायोजित कर दी है।

अभिभाषक पक्षकारान को सुना गया। बहस वकील पक्षकारान मुख्य रूप से प्रार्थना पत्र/जबाव प्रार्थना पत्र के अनुसार रही।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, वकील पक्षकारान द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत पर मनन किया। वादग्रस्त आराजी मुताबिक नकल, जमाबंदी संवत् 2076–79 वाके ग्राम खीण्या पटवार मण्डल खीण्या तहसील हिण्डोली की खतौनी संख्या 560 के अनुसार प्रार्थीया की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है अर्थात् प्रार्थीया वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार है।

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

कोई भी रिकार्डेड खातेदार अपनी खातेदारी भूमि की नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर पत्थरगढी करवाने का कानूनन अधिकारी होता है। पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र में किसी पक्षकार के हितों का निर्धारण नहीं किया जाना है। पत्थरगढी द्वारा केवल विवादित भूमि की सीमाओं को तय किया जाता है।

—: क्रियात्मक आदेश :—

अतः प्रार्थना—पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, हिण्डोली को निर्देश है कि आराजी खाता संख्या 560 के खसरा संख्या 3311/930 व 3313/2960 कुल किता 2 कुल रकबा 0.4912 हैक्टेयर वाके ग्राम खीण्या पटवार मण्डल खीण्या तहसील हिण्डोली जिला बून्दी जो कि प्रार्थीया की खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजीयात की प्रार्थीया से नियमानुसार शुल्क राजकोष में जमा करवाकर प्रार्थीया व आराजी के पडौसी खातेदारान को सूचित करते हुए उनकी मौजूदगी में विवादित भूमि बाबत किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने की स्थिति में व उक्त आराजी में फसल मौजूद नहीं होने की स्थिति में मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर एवं कब्जे की स्थिति को यथावत रखते हुए पत्थरगढ़ी करवाये। पालनार्थ तहसीलदार, हिण्डोली को तहरीर जारी हो एवं पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/02/2026

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446